(8)

बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/आ०2–6/2016 33 पटना, दिनांकः 18/02/2020

कार्यालय आदेश

श्री राकेश कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, पीरपैंती प्रखंड, भागलपुर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बौसी प्रखंड, बॉका के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–295 दिनांक–10.02.2016 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–58 सहपठित ज्ञापांक–434 दिनांक–04.03.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), भागलपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर को ~~प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।~~

श्री राकेश कुमार के विरूद्ध निम्न आरोप गठित किये गये :–

(i) खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में कार्यालय आदेश ज्ञापांक–117/आपूर्ति, दिनांक–10.02.2014 द्वारा आपको पीरपैंती क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। आपके द्वारा क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप में कुल 13288.02 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गयी थी। क्रय किए गये धान के विरूद्ध राज्य खाद्य निगम, भागलपुर द्वारा निर्गत भंडार निर्गमादेश पर आपके द्वारा धान की संपूर्ण मात्रा की आपूर्त्ति मिलरों को नहीं की गयी।

(ii) मिलरो द्वारा उपलब्ध कराए गये चलान के मिलान से विदित होता है कि आपके द्वारा 33.620 एम. टी. अधिप्राप्ति धान का गबन किया गया है, जिसका मूल्य 17154.00 मे०टन की दर से 5,76,717.48 (पॉच लाख छियहत्तर हजार सात सौ सतरह रूपये अड़तालिस पैसा) रूपये होता है।

(iii) बिहार सरकार सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1) (i),(ii) एवं (iii) का उल्लंघन है एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में सरकारी सेवक के लिए निहित मापदंड के विपरीत है।

2. अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), भागलपुर–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–132/ वि०जॉ० दिनांक–31.10.2018 द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी ने निम्न मंतव्य दिया है

"(i) प्रतिवेदित आरोप के विरूद्ध आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी कर्मी ने राशि गबन करने के उद्देश्य से वास्तविक अधिप्राप्ति से अधिक करके मात्रा अंकित किया है। लिपिकीय त्रुटि या भूल आंशिक हो सकता है न कि 4000 (चार हजार) क्विंटल। साथ ही आरोपी कर्मी को इस भूल का एहसास अधियाचना के समय भी नहीं हुआ। इस प्रकार प्रथम आरोप प्रमाणित पाया गया।

0145 स्था० 1(का०आ०) (10 फरवरी 2020).

(ii) आरोपित कर्मी के विरूद्ध गठित द्वितीय आरोप में भी संशोधित प्रतिवेदित अधिप्राप्ति की मात्रा एवं मिलरों की आपूर्त्ति की गई वास्तविक मात्रा में काफी अन्तर है तथा आरोपी कर्मी द्वारा इसे अपने स्पष्टीकरण में स्वीकार भी किया गया है। आरोपी कर्मी यह भी स्वीकार करते हैं कि धान अधिप्राप्ति में कमी की मात्रा की राशि में मो०512380/– रूपया उनके द्वारा जमा की गई है। स्पष्ट है कि धान अधिप्राप्ति का अंकन एवं मिलरों को वास्तविक रूप से की गई आपूर्त्ति में गलत मंशा से अंतर रखा गया था और जब मामला उजागर हुआ तो आरोपी कर्मी ने राशि जमा की। इस प्रकार द्वितीय आरोप भी प्रमाणित है।

(iii) प्रथम एवं द्वितीय आरोप के विश्लेषण से स्पष्ट है कि आरोपी कर्मी के विरूद्ध सभी स्तर पर गड़बड़ी परिलक्षित हुई है और प्रमाणित पाई गई है। मानवीय लेखन भूल किसी एक स्तर पर हो सकता है बशर्ते शीध उस भूल के संबंध में सुधार कर उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित कर दिया जाय। किन्तु आरोपी कर्मी द्वारा धान अधिप्राप्ति की वास्तविक मात्रा से अधिक मात्रा में अंकित करना पुनः अधिक दर्शायी गयी मात्रा के विरूद्ध आवंटन अधियाचित कर प्राप्त करना तथा पुनः मिलरों को की गई आपूर्त्ति की वास्तविक मात्रा के समय भी काफी अंतर परिलक्षित होना स्पष्ट करता है कि आरोपी कर्मी की मंशा शुरू से ही साफ नहीं रही है, और उन्होंने सभी स्तर पर एक सरकारी सेवक के विहित आचरण के प्रतिकूल कार्य किया है। इस प्रकार आरोपी कर्मी के विरूद्ध तृतीय आरोप भी प्रमाणित पाया गया ।"

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –18 में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के आरोप प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर श्री राकेश कुमार से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने अभ्यावेदन में श्री राकेश कुमार ने उल्लेख किया है कि :–

" (i) उनके द्वारा धान अधिप्राप्ति की कुल मात्रा 9203.20 (नौ हजार दो सौ तीन क्विंटल बीस किलोग्राम) में से 8885.82 क्विंटल विभिन्न मिलरों को धान प्राप्त कराया गया है तथा अवशेष धान के कमी की मात्रा के समतुल्य कीमत मो० 512380/– (पॉच लाख बारह हजार तीन सौ अस्सी) रूपये उनके द्वारा NEFT एवं चेक के माध्यम से जमा करा दिया गया है तथा उनके उपर निगम का अब कोई बकाया नहीं है। इस संबंध में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर के पत्रांक–2141 दिनांक–01.07.2016 साक्ष्य के रूप में संलग्न है।

(ii) धान अधिप्राप्ति की वास्तविक मात्रा से मिलरों को कम धान की मात्रा आपूर्त्ति के संदर्भ में कहा गया है कि धान अधिप्राप्ति गोदाम के मानक अनुरूप नहीं होने से वर्षा जल से सड़ने–गलने के कारण, चूहों द्वारा धान बर्वाद करने व बोरों में धान की मात्रा कम होने , बोरों की गिनती में भूल चुक होने तथा मिलरों के द्वारा धान उठाव में विलंब होने के कारण धान जैसे कच्चे माल के सुखने आदि की वजह से धान अधिप्राप्ति की वास्तविक मात्रा से कम धान की आपूर्त्ति मिलरों को की जा सकी हैं।

(iii) अवशेष धान की मात्रा की राशि जमा करने के संदर्भ में कहा है कि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर के पत्रांक–2865 दिनांक–15.11.2014 एवं पत्रांक–25 दिनांक–30.01.2015 के द्वारा अवशेष धान की मात्रा की राशि जमा नहीं करने पर निलाम–पत्र वाद व प्राथमिकी दर्ज का दबाव दिया जाता रहा है। उक्त स्थिति में सरकार को क्षतिपूर्ति करने की मंशा से उनके द्वारा धान की अवशेष मात्रा की

N/

" जन्म हो या मरण, जरूरी हैं पंजीकरण"

राशि NEFT एवं चेक के माध्यम से जमा कर दिया गया है। उनके द्वारा उक्त राशि जमा करने संबंधी सूचना जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर को दिनांक–11.04.2015 को समर्पित आवेदन के द्वारा किया गया है, परन्तु राशि जमा करने के कई महीनों के बाद भी उनके उपर विभागीय कार्यवाही कर दिया गया है।"

(iv) धान अधिप्राप्ति जैसे अन्य विभाग के कार्यो को पहली बार करने के कारण विशेष तकनीकी दक्षता नहीं होने की वजह से भूलवश उपर वर्णित स्थिति का सामना करना पड़ा है, इसमें जानबूझकर न तो कोई गलती की गई है और न ही उनकी कोई अन्यथा मंशा रही है। अधिप्राप्ति में प्राप्त कुल धान एवं उसकी कीमत का लेखा–जोखा अद्यतन प्रस्तुत किया गया है तथा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर का उनके उपर कोई बकाया नहीं है और न ही सरकार को कोई क्षति होने दी गयी है।"

4. संचालन प्रतिवेदन पर श्री राकेश कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर का पत्रांक–2141 दिनांक–01.07.2016 संलग्न किया गया है जिसमें श्री कुमार द्वारा जमा कुल राशि 512382/– रूपये दर्शाया गया है एवं इनके ऊपर निगम का अब कोई बकाया नहीं निकलता है, का भी उल्लेख है। जबकि श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में 33.26 एम०टी० धान के गबन जिसका मूल्य 17154/– रूपये प्रति मे०टन की दर से 576717.48/–रूपये का उल्लेख है । इसकी पुष्टि जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर के पत्रांक–25 दिनांक–03.01.2015 से भी होती है ।

उक्त दोनों पत्रों में राशि की भिन्नता के संबंध में निदेशालय के पत्रांक–492 दिनांक–05.03.2019 द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर से स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया। स्मारित किये जाने के बावजूद जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर से प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है ।

5. जिला प्रबधंक, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर के पत्रांक–2141 दिनांक–01.07.2016 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री कुमार द्वारा कुल जमा राशि 5,12,382/– रूपये है एवं उनके उपर निगम का अब कोई बकाया नहीं निकलता है।

संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री राकेश कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, पीरपैंती प्रखंड, भागलपुर का Conduct संदेहास्पद एवं मनसा सही प्रतीत नहीं होता है। हो सकता है श्री कुमार द्वारा राशि जमा कर दी गयी है परन्तु ये दोषी अपने Conduct से पाये गये हैं।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री राकेश कुमार पर निम्नांकित शास्तियॉ अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है :–

(i) संचयी प्रभाव के साथ दो वेतनवृद्धि पर रोक।

(ii) राज्य खाद्य निगम, भागलपुर का अगर राशि का बकाया श्री कुमार पर अभी भी बनती है तो विहित प्रक्रिया के तहत निलामपत्र वाद दायर कर सकते हैं।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राकेश कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, पीरपैंती प्रखंड, भागलपुर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बौसी प्रखंड, बॉका पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव से दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है । साथ ही राज्य खाद्य निगम, भागलपुर का अगर राशि का बकाया श्री कुमार पर अभी भी बनती है तो विहित प्रक्रिया के तहत जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर निलामपत्र वाद दायर कर सकते हैं।

ह०/–

निदेशक

ज्ञापांक:– स्था०1/आ०2–6/2016 322 पटना, दिनांक: 18/02/2020

प्रतिलिपि :–

सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, भागलपुर/बॉका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/बॉका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भागलपुर/बॉका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, बौसी प्रखंड, बॉका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय मुख्यालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री राकेश कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, पीरपैंती प्रखंड, भागलपुर संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बौसी प्रखंड, बॉका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 17/2